न्यायालय भू– अभिलेख अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– भागीरथ राम R.A.S.

राजस्व प्रकरण सं. 653/2018

प्रार्थीगण :–

1. तगाराम 2. सकाराम 3. कानाराम 4. छगनाराम 5. अर्जनराम पुत्रान पुनमाराम जातियान मेगवाल निवासीयान बिठुजा तह. पचपदरा

ब ना म

विप्रार्थीगण :–

1. ढलाराम पुत्र दुर्गाराम
2. मोहनराम पुत्र दुर्गाराम
3. बुधाराम पुत्र दुर्गाराम
4. पारस पुत्र दुर्गाराम
5. गोबरराम पुत्र दड़ाराम
6. भीमाराम पुत्र उदाराम
7. बिजलाराम पुत्र नवाराम
8. छोगीदेवी बेवा वेनाराम
9. नगाराम पुत्र वेनाराम
10. जोराराम पुत्र वेनाराम
11. मीठाराम पुत्र वेनाराम
12. दुदाराम पुत्र वेनाराम
13. बाबुलाल पुत्र वेनाराम
14. ओमप्रकाश पुत्र वेनाराम
15. छगनाराम पुत्र सोनाराम जातियान मेगवाल
16. अशोककुमार पुत्र तोगारामनाई
17. डायाराम पुत्र विरदाराम प्रजापत
18. हस्तीमल पुत्र विरदाराम प्रजापत
19. छगनाराम पुत्र सोनाराम प्रजापत
20. रणछोड़राम पुत्र गिरधारीराम मेगवाल
21. मेहराराम पुत्र गिरधारीराम मेगवाल
22. वगताराम पुत्र बगराराम चौधरी सभी निवासीयान बिठुजा त. पचपदरा
23. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

हेतु पैमाईश जरिये पत्थरगड्ढी

आदेश दिनांकः 28.06.2018

उपस्थित :–

अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।

जेठुलाल कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 ता 4, 8 ता 14, व 20 व 21 की ओर से

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल. आर एक्ट का इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं, कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 1280/898 रकबा 05 बीघा 12 विस्वा, 1281/242 रकबा 05 बीघा 12 विस्वा, 1282/260 रकबा 05 बीघा 12 विस्वा, कुल रकबा 16 बीघा 16 विस्वा सरहद मौजा बिठुजा पटवार बिठुजा तहसील पचपदरा में आयी हुई है। प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी कृषि भूमियों के विप्रार्थीगण पडौसीयान है, प्रार्थीगण की भूमि को अवैध व अनुचित तरीके से जबरन दबाकर हड़प करना चाहते है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण के खेत के पास ही आया हुए है, जिस कारण हमेशा खेत की सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण की सहमति से नेखम पेमाईश करवा कर सीमा को लेकर हमेशा होने वाले विवादों को निपटाने हेतु कई बार कहा किन्तु विप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की समझाईश की ओर कोई ध्यान नही दिया, उल्टे प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त के खेतों के चारो तरफ बनी माठो को तोड कर नष्ट करने व प्रार्थीगण की कृषि भूमियों के रकबे पर अतिक्रमण हेतु अमादा हुए, जिस पर प्रार्थीगण ने बुजुर्ग मौजिज लोगो से समझाईश करवाई, किन्तु विप्रार्थीगण ने कोई बात

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018

Scanned by CamScanner

नही मानी एवं अपनी जिद्द पर अड़े रह कर प्रार्थीगण के खेतों के चारो तरफ बने सीमा को नष्ट करने को उतारु है। उपरोक्त विवाद की स्थिति को हमेशा–हमेशा से सुलझाने के लिए प्रार्थीगण के लिए अपने खातेदारी खेतों की नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी करवाया जाना आवश्यक हो गया, जिस हेतु श्रीमान्जी के समक्ष वर्तमान आवेदन पत्र प्रस्तुत है। उक्त प्रार्थना पत्र से पहले प्रार्थीगण ने श्रीमान उप तहसीलदार साहब जसोल के आदेश से सीमाज्ञान भी दिनांक 26.06.2012 व दिनांक 15.06.2016 को करवाया, किन्तु विप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, विप्रार्थी सं. 1 ता 4, 8 ता 14, व 20 व 21 की ओर से जबाव मय काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ, दिगर विप्रार्थीगण बावजुद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी, विप्रार्थी सं. 1 ता 4, 8 ता 14, व 20 व 21 ने लिखित जबाव मय काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है, विप्रार्थीगण ने कभी भी नाप पैमाईश करने से आनाकानी नही की, हम विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौके पर रकबे से कम है। साथ ही निवेदन किया कि विप्रार्थी सं. 01 व 04 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 242 रकबा 16.14 बीघा, विप्रार्थी सं. 08 ता 14 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 260 रकबा 16.18 बीघा व खसरा सं. 248 रकबा 09.07 बीघा एवं विप्रार्थी सं. 20 व 21 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 898/242 रकबा 16.14 बीघा की भी नाप पैमाईश कर पत्थरगढ़ी की जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 ता 4, 8 ता 14, व 20 व 21 को सुना, पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, जमाबंदी खतौनी एवं नक्शा किश्तवार, सीमाज्ञान फर्द का अवलोकन व अध्ययन किया ।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने माफिक इस्तदुआ प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया, तथा विप्रार्थी सं. 1 ता 4, 8 ता 14, व 20 व 21 ने भी अपनी खतोदारी की कषि भूमियो का नाप पैमाईश कर पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया, पक्षकारान् की ओर से जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये उससे यह स्पष्ट है, कि प्रार्थीगण खसरा सं. 1280/898 रकबा 05 बीघा 12 विस्वा, 1281/242 रकबा 05 बीघा 12 विस्वा, 1282/260 रकबा 05 बीघा 12 विस्वा, कुल रकबा 16 बीघा 16 विस्वा के खातेदार है, तथा विप्रार्थी सं. 01 व 04 खसरा सं. 242 रकबा 16.14 बीघा, विप्रार्थी सं. 08 ता 14 खसरा सं. 260 रकबा 16.18 बीघा व खसरा सं. 248 रकबा 09.07 बीघा एवं विप्रार्थी सं. 20 व 21 खसरा सं. 898/242 रकबा 16.14 बीघा कृषि भूमि के खातेदार है, तथा मौके पर विवाद का निस्तारण करने हेतु नाप पैमाईश कर पत्थरगढ़ी करवाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कृषि भूमि खसरा सं. खसरा सं. 1280/898 रकबा 05 बीघा 12 विस्वा, 1281/242 रकबा 05 बीघा 12 विस्वा, 1282/260 रकबा 05 बीघा 12 विस्वा, कुल रकबा 16 बीघा 16 विस्वा सरहद मौजा बिठुजा तह. पचपदरा की लटटा ट्रेस में तरमीम अनुसार सीमाज्ञान नाप जरीये पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक आसोतरा को भू–मापक आयुक्त नियुक्त किया जाता है, भू–मापक आयुक्त को निर्देश दिया जाता है, कि अपने स्तर पर टीम गठित कर उक्त भूमियो की स्थाई बिन्दुओ से नाप कर बाद नाप मौके पर पत्थरगढ़ी कर न्यायालय में पालना रिपोर्ट मय नक्शा प्रस्तुत करे। साथ ही विप्रार्थी सं. 01 व 04 के खातेदारी की भूमि खसरा सं. 242 रकबा 16.14 बीघा, विप्रार्थी सं. 08 ता 14 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 260 रकबा 16.18 बीघा व खसरा सं. 248 रकबा 09.07 बीघा एवं विप्रार्थी सं. 20 व 21 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 898/242 रकबा 16.14 बीघा की भी पत्थरगढ़ी की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज तारीख 28.06.2018 को सुनाया गया ।

(भागीरथ राम R.A.S.)
भू–अभिलेख अधिकारी (S.D.O.),
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..

Scanned by CamScanner